प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर, 2017

विषय :वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार जिला पंचायतों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

जिला पंचायतों के कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) स्वीकृत करने विषयक शासनादेश संख्या- 1848/33-2-14-36जी/09, दिनांक 19-9-2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार जिला पंचायतों के कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 तथा शासनादेश दिनांक 03-03-2015 एवं शासनादेश दिनांक 26-08-2015 को जिला पंचायतों के कार्मिकों के लिए निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अंगीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उपर्युक्त व्यवस्था लागू किये जाने से आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को सम्बन्धित जिला पंचायतों द्वारा अपने स्रोतो से वहन किया जायेगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त कोई धनराशि देय नहीं होगी।

(2) शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-9 तथा प्रस्तर-7 व 8 को इनके लिये प्रभावी नहीं माना जायेगा।

(3) जिला पंचायतों के कार्मिकों को समयमान/चयन वेतनमान अनुमन्य किये जाने विषयक आदेश संख्या-वे0आ0-2-182/दस-97-स्था0नि0-3-89, दिनांक 20 फरवरी, 1997 की व्यवस्था के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने के दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई पद धारक सीधी भर्ती / एक

---2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अथवा एक से अधिक पदोन्नति प्राप्त कर पद के साधारण वेतनमान में है और उसे उस पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है तो उसे सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड-वेतन से अगले ग्रेड वेतन के रूप में कुल 03 वित्तीय स्तरोन्नयन क्रमशः 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05-11-2014 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होगा।

(4) 08 वर्ष/10 वर्ष एवं 19 वर्ष/21 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतन वृद्धि की धनराशि की गणना संबंधित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन) के 03 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतन वृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(5) 10 वर्ष/14 वर्ष/16 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान तथा 24 वर्ष/26 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक् का वेतन प्रोन्नतीय/अगली वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन) अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पद धारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(6) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष/10 वर्ष तथा 19 वर्ष/21 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(7) जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 10 वर्ष/14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक उच्च वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा तथा जिन्हें 16 वर्ष की सेवा के आधार प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। ऐसे पदधारक जिनकी पदोन्नति उपर्युक्तानुसार समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात समान/उच्च वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) में हो जाती है तो द्वितीय ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और द्वितीय

---3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ए0सी0पी0 के रूप में वर्तमान में प्राप्त हो रहे ग्रेड-वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

(8) जिन्हे समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा तथा जिन्हें 26 वर्ष की सेवा के आधार द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। ऐसे पदधारक जिनकी पदोन्नति उपर्युक्त लाभ प्राप्त करने के उपरान्त निम्न वेतनमान में अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात समान/उच्च वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) में हो जाती है तो तृतीय ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और उसे अनुमन्यता की तिथि को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु, दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा और उसकी कुल सेवावधि को सम्बन्धित पद पर की गयी सेवा मानते हुए ए0सी0पी0 का लाभ देय होगा।

(9) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-10 में उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर यह प्रतिस्थापित माना जायेगा कि "केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/ सार्वजनिक उपक्रम/निगम में की गयी पूर्ण सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गण्ना में नहीं लिया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या- वे0आ0-2-845/दस-2017, दिनांक 28 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

---4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- (1)/33-2-2017, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(3) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
(4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
(5) उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ0प्र0, लखनऊ।
(8) समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
(9) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(11) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
(12) पंचायती राज अनुभाग-1/3
(13) अधिष्ठान पुनरीक्षिण ब्यूरो।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।